

प्रेषक,

राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ० प्र० शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।
- 3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ० प्र०।

लखनऊ, दिनांक 22 अक्टूबर, 2002

कार्मिक
अनुभाग-2

विषय :-राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र।

महोदय,

राज्याधीन लोक सेवाओं एवं पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर आरक्षित वर्गों को आरक्षण का लाभ देने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994, जैसा कि उ० प्र० अधिनियम संख्या 21 सन् 2001 एवं उ० प्र० अधिनियम संख्या 1 सन् 2002 द्वारा संशोधित किया गया है, प्रवृत्त है।

2-उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2002) दिनांक 15-9-2001 से प्रभावी है, जिसके द्वारा उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 21 सन् 2001) को संशोधित किया जा चुका है। अतएव, इसके अधीन जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में जारी किया गया शासनादेश संख्या 22/16/92-टी०सी०-III/का-2/2001 दिनांक 10-10-2001 एवं समसंख्यक शासनादेश दिनांक 10-12-2001 तथा इसके साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र एवं शासनादेश सं० 22/16/92-टी०सी०-III/का-2/2002, दिनांक 3 जुलाई, 2002 एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं।

3-मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एतद्वारा संलग्न प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाएं। शासनादेश संख्या 22/16/92/का-2/1996, दिनांक 5-1-1996, जिसके द्वारा जाति-प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र, आरक्षण का लाभ पाने के लिए, जारी करना सुनिश्चित किया जाए।

4-नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को पूर्वोक्त जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने से पूर्व यह बात ध्यान में रखी जायेगी कि पूर्वोक्त आरक्षण अधिनियम की यथा संशोधित धारा-3(1) के प्रथम परन्तुक के उपबन्ध के अनुसार, अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी को आरक्षण अनुमन्य नहीं है। पूर्वोक्त आरक्षण संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी अनुसूची-दो, जिसमें पूर्वोक्त आरक्षण संशोधन अधिनियम-2002 द्वारा कतिपय संशोधन किये गये हैं, प्रवृत्त है। यथासंशोधित अनुसूची-दो के अनुच्छेद छः के प्रावधान के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे व्यक्तियों के पुत्र या पुत्री को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा, जिनकी निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे अधिक हो या जिसके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति हो।

संलग्नक : प्रारूप I एवं II

भवदीय,
राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/सुपुत्री..... निवासी.....तहसील

.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की
.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उ० प्र० लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में तथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम

.....तहसीलनगर.....जिला.....
में सामान्यतया रहता है।

स्थानहस्ताक्षर

दिनांकपूरा नाम.....

मुहरपदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

Search easily on www.bharityashikshanadesh.org

प्रारूप-II

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/सुपुत्री/श्री.....निवासी ग्राम.....

तहसील.....नगर.....जिला.....

उत्तर प्रदेश राज्य की.....जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.....

ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....

में सामान्यतया रहता है।

स्थान.....हस्ताक्षर.....

दिनांक.....पूरा नाम.....

मुहर.....पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/

सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/

अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला

समाज कल्याण अधिकारी।